



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र., गवालियर

प्र.कं. / 2010 रेस्टोरेशन

प्र.कं. - 1819 - PBR/2010

श्रीमती मायापाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार
पाल निवासी - रेन बसेरा के सामने
कृष्णगंज वार्ड, गोपालगंज सागर जिला
सागर (म.प्र.) आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ रस्टांप
सागर, जिला सागर (म.प्र.) ... अनावेदक

पुर्णस्थापना (रेस्टोरेशन) आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण कं. 01/111/09 अपील पंजीबद्ध होकर पेशी 7.12.10 को प्रकरण कायमी सुनवाई हेतु नियत था।
- 2- यह कि, दिनांक 7.12.10 की पेशी कायमी तर्क हेतु नियत थी। आवेदक का प्रकरण सुनवाई लिस्ट में प्रारंभ में लगा था। आवेदक अभिभाषक अन्य न्यायालय में तर्क कर रहे थे इस कारण उक्त प्रकरण की पुकार के समय उपरिथित नहीं हो सके। जब आवेदक अभिभाषक माननीय न्यायालय की कोर्ट में आये तब श्रीमान प्रकरणों की सुनवाई कर रहे थे। आवेदक अभिभाषक अपने प्रकरण की सुनवाई के इंतजार में बैठे रहे। श्रीमान प्रकरणों की सुनवाई कर उठ गये तब रीडर से सम्पर्क किया तो मेरे प्रकरण की सुनवाई का नम्बर क्यों नहीं आया तक कोर्ट रीडर द्वारा बताया गया कि आपके प्रकरण की सुनवाई का नम्बर प्रारंभ में ही आ गया था आप पुकार के समय उपरिथित नहीं थे इस कारण साहब ने उसी समय अनुपरिथिति में खारिज करने का अदोश कर दिया था।

14-10-14

कृष्ण

आवे. आदिश्रीमुद्रा, नारायण. उप. ३-३ देवोरात्रि

ने मुझे। देवोरात्रि प्रकरण मे दुष्कार्ता को

जपाने आवारा होने मे देवोरात्रि प्रकरण

होने का करते ही भूल प्रकरण का. अ. १०-३०/०९

उन: नम्बर पर लिख जाता है। इस प्रकरण मे

लोक कामवारी थोड़ा नहीं होने मे पद प्रकरण नमाप

लिखा जाता है।

प्रशान्त सदृश्य

31.10.2010

[कृ. प. उ.